न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 145/2024(GCMS : 2024/209)**

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता – 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 **स्थानीय शाखा** नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम कुमार

बनाम

1. **मोतीराम** पुत्र श्री लालचन्द निवासी वार्ड नं. 05, ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335804
2. **राजकुमार** पुत्र श्री मोतीराम निवासी वार्ड नं. 05, ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335804
3. **ओमी देवी पत्नी श्री मोतीराम** निवासी वार्ड नं. 05, ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूंड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. ने अप्रार्थीगण मोतीराम, राजकुमार एवं ओमी देवी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोतीराम की अचल **सम्पत्ति पट्टा नम्बर 32, बुक सं. 183/2017, मिसल संख्या 32/05.05.2017, ग्राम पंचायत ऐटा, पंचायत समिति सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, जिसका साईज 2697 वर्गफुट है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं चाहता है **अर्थात् नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:31 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मोती राम, राजकुमार एवं ओमी देवी के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में मोतीराम की **अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 32, बुक सं. 183/2017, मिसल संख्या 32/05.05.2017, ग्राम पंचायत ऐटा, पंचायत समिति सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, जिसका साईज 2697 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:31 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर